डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

सुरेश चन्द पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन अग्रवाल निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली -- वादी

बनाम

1.	घूडी पुत्र मूला	जातियान जाटव निवासीयान सूरौठ
2.	सोनपाल पुत्र रामफल –मृतक	
3.	करन पुत्र परमोली	
4.	रघुवीर पुत्र चुन्नी – मृतक	
4/1.	कृष्ण कुमार पुत्र रघुवीर	
4/2.	मु0 गंगाबाई बेबा रघुवीर	तहसील हिण्डौन जिला करौली
4/3.	मु0 कमलेश — पुत्रियॉ रघुवीर	
4/4.	मु0 पिन्की — पुत्रियॉ रघुवीर	
5.	रामजीलाल पुत्र किशोरी	
6.	बल्लीसिंह पुत्र पप्पू	
7.	राधे पुत्र मांगी	
8.	तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली------------ प्रतिवादीगण	

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा, (इन मेन्डेटरी फोर्म) मुकदमा नं0 511/2004

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री शरदीलाल चौधरी एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि आराजी खसरा नम्बर 1945 रकबा 0.16 है0 कस्बा सूरौठ तहसील सूरौठ पर दौराने दावा स्थगन आदेश दिनांक 18.10.2010 से पाबन्द होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि पर अतिकमण कर वाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कर लिया है, जिसको प्रतिवादीगण स्वंय अपने खर्चे पर निर्णय के 7 दिवस में हटा लेवें –

अन्यथा तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि खसरा नम्बर 1945 रकबा 0.16 है0 कस्बा सूरौठ तहसील सूरौठ का नियमानुसार सीमाज्ञान करते हुए बाद जॉच खसरा नम्बर 1945 रकबा 0.16 है0 कस्बा सूरौठ में यदि किसी प्रकार का पुख्ता निर्माण या बाउण्ड्रीवाल का निर्माण है तो उसे जरिये पुलिस इमदाद से हटाने की कार्यवाही करें तथा पालना रिपोर्ट एक माह में इस न्यायालय में पेश करें तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1945 रकबा 0.16 है0 कस्बा सूरौठ तहसील सूरौठ में वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत पैदा ना तो स्वंय करें और ना ही किसी अन्य से करावें। वादी को उक्त भूमि को शान्ति पूर्वक काश्त करने देवें। प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य नहीं करें कि जिससे वादी के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे। वादी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1945 रकबा 0.16 है0 कस्बा सूरौठ में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29-9-22 को यह डिक्री जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली